545

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03-विविध-37/2010 - 2015 खाद्य,पटना/दिनांक - 14.03.2011

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों के लिए दो कमरे तथा सहायक एवं अनुसेवक की पूर्णकालिक व्यवस्था के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2291 दिनांक 15.04.2010 का निदेश किया जाय । उक्त के माध्यम से लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार की विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं के सम्यक् कार्यान्वयन एवं प्रखंड स्तर पर आपूर्ति कार्यो के सुचारू संचालन के लिये प्रखंड / अंचल कार्यालयों में दो कमरों की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय हेतु किये जाने तथा इस कार्यालय के कार्य सम्पादन के लिये दो सहायक एवं दो अनुसेवक अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था । इस संदर्भ में अबतक कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव बिहार, पटना के बेतार संवाद सं0 3320 दिनांक 04.06.1986 द्वारा 15.06.1986 के प्रभाव से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को अंचल से अलग करते हुए इन कार्यालयों के लिए अंचल कार्यालय एवं प्रखंड विकास कार्यालय से एक-एक सहायक एवं अनुसेवक की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था । तदनुसार विभागीय पत्रांक 6122 दिनांक 10.06.1986 एवं 5390 दिनांक 20.10.1989 द्वारा भी इस संदर्भ में कार्रवाई हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था ।

अतएव अनुरोध है कि प्रखंड परिसर में अवस्थित प्रखंड विकास कार्यालय/अंचल कार्यालय में दो कमरों की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के लिए किया जाय साथ ही इस कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु दो सहायक एवं दो अनुसेवक को अविलंब उपलब्ध कराया जाय तथा एतद् संबंधी सूचना विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । इसे अति आवश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

14/3/11

सरकार के अपर सचिव ।

D:\backup\Year_2010(p)\Section_3\SEC-3\[illegible]Letter do.doc

(546)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03पेन-14/2010 939 /खाद्य,पटना, दिनांक- 15.2.2011

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
सभी अनुमंडल पदाधिकारी ।

विषयः- लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों का त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 3290/2005 में दिनांक 24.10.08 को पारित आदेश के द्वारा सेवान्त/पेंशन के लम्बित मामले के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा वित्त विभागीय पत्रांक 3155 दिनांक 07.11.1981 के द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान में तीन माह से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में 05 प्रतिशत सूद देने का प्रावधान किया गया है । अनावश्यक विलम्ब के करण देय ब्याज की रकम के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वसूल करने का निदेश है । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के ज्ञापांक 169 दिनांक 24.01.2011 की छाया प्रति संलग्न है ।

अतः अनुरोध है कि सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेने की कृपा की जाय ।

अनु0- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
15.2.2011
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\backup\Year_2010(p)\Section_3\Letter 1.doc

पत्र संख्या-वि.(27) पे.को.-199/2010-__________/वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

- मानव संसाधन विकास विभाग ।
- पथ निर्माण विभाग ।
- सहकारिता विभाग ।
- उद्योग विभाग ।
- लघु जल संसाधन विभाग ।
- पर्यावरण एवं वन विभाग ।
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।
- जल संसाधन विभाग ।
- सामान्य प्रशासन विभाग ।

पटना, दिनांक__________/

विषय :- लम्बित पेंशन एवं सेवान्त लाभ के मामलों का त्वरित निष्पादन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभाग के स्तर पर सेवान्त लाभ के निष्पादन के संदर्भ में विभागीय नोडल पदाधिकारियों की बैठक में उनके द्वारा दी गई सूचना के आलोक में आपके विभाग में अक्टूबर, 2010 तक लम्बित मामलों की संख्या 50 से अधिक है । विभागवार सूची संलग्न है ।

वित्त विभागीय पत्रांक-1070 दिनांक 23.01.1974 के द्वारा पेंशन/सेवान्त लाभ के मामले में अनावश्यक विलम्ब को भ्रष्टाचार माना गया है, तथा इसके लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने का सरकारी निदेश है । ज्ञातव्य हो माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने सी.डब्ल्यू.जे.सी.संख्या-3290/2005 में दिनांक 24.10.2008 को पारित आदेश के द्वारा सेवान्त//पेंशन के लम्बित मामले के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा वित्त विभागीय पत्रांक-3155 दिनांक 07.11.1981 के द्वारा सेवान्त लाभ के भुगतान में तीन माह से अधिक विलम्ब होने की स्थिति में 5% सूद देने का प्रावधान किया गया है । अनावश्यक विलम्ब के कारण देय ब्याज की रकम को दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वसूल करने का निदेश है ।

अतः अनुरोध है कि सेवान्त लाभ के लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु व्यक्तिगत संज्ञान लेने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- वि.(27) पे.को.-199/2010- 169 /वि०, पटना, दिनांक 24.01.2011

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक/सभी विभाग/निदेशालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/DGP/ADGP/Zonal IG/D.I.G./जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2011
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

Pen.Sec.649/ravi

548

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र08गो0वि0गया-01/2011 270 /खाद्य,पटना/दिनांक- 17.1.2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी ।

विषयः- विभागीय कार्यालय आदेश सं0 5424 दिनांक 25.09.08 द्वारा आपूर्ति निरीक्षक/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों को निलम्बन हेतु प्रदत्त शक्ति का अनुपालन, निदेश के अनुरूप नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय कार्यालय आदेश सं0 5424 दिनांक 25.09.08 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर दोषी आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों को इस शर्त के साथ निलम्बित करने की शक्ति जिलाधिकारियों को प्रदत्त की गई थी कि आरोपित कर्मी के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई का पूर्ण ब्योरा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर सभी साक्ष्यों के साथ विभाग को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराते हुए निलम्बन आदेश पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त करेंगे ।

2. परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि दोषी कर्मियों को निलम्बित कर फैक्स अथवा डाक से अनुमोदन हेतु मात्र निलम्बनादेश विभाग को भेज दिया जाता है, फलस्वरूप दोष की प्रकृति के बिन्दु पर विभागीय स्तर पर समीक्षा कर निलम्बन आदेश के अनुमोदन के प्रस्ताव में निर्णय लेनें में असुविधा होती है ।

3. अतएव जिला पदाधिकारी के स्तर से दोषी कर्मियों को निलम्बित किये जाने की स्थिति मे निलम्बनादेश के साथ-साथ प्रपत्र 'क' भी सभी साक्ष्यों के साथ विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय ।

4. साथ ही विभागीय कार्यालय आदेश सं0 5424 दिनांक 25.09.08 में दिये गये अन्य निदेशों का भी अनुपालन द्रढ़ता से किया जाय ।

विश्वासभाजन,
(ह0) 14/01/2011
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र08गो0वि0गया-01/2011 270 /खाद्य,पटना/दिनांक- 17.1.2011

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह0) 14/01/2011
प्रधान सचिव

(549)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र03/अ-3-04/2002 /खाद्य, पटना/दिनांक-

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
बाँका ।

विषयः- प्रखंड आपूर्ति कार्यों के अस्थायी प्रभार के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक- 520 दिनांक- 15.03.2005 एवं 5175 दिनांक- 31.08.2010 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जिन प्रखंडों में आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं, उन प्रखंडों में आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी दिये जाने हेतु निर्दिष्ट है । उक्त प्रखंड में आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की नियमित पदस्थापना होने के पश्चात् अस्थायी प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा । रिक्त प्रखंडों में प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को आपूर्ति कार्य का अस्थायी प्रभार देने हेतु विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः- यथोक्त । ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक- प्र03/अ-3-04/2002 186 /खाद्य, पटना/दिनांक- 12.01.2011

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

12/1/2011

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\sec-3\Vividh-Sec-3.doc

(183)

(550)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक -- प्र03--04/2002-- खाद्य, पटना/दिनांक--

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :-- प्रखंड आपूर्ति कार्यो के अस्थायी प्रभार के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 520 दिनांक 15.03.2005 का संदर्भ किया जाय । उक्त के माध्यम से निर्दिष्ट है कि जब तक किसी प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियमित रूप से पदस्थापना नही होती है तब तक जिला पदाधिकारी कार्यहित में प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का कार्य लें ।

उल्लेखनीय है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चिन्हित लाभुकों के बीच खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है । वर्तमान में आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग में पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की कमी के कारण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन/पर्यवेक्षण/अनुश्रवण आदि में कठिनाई दृष्टिगोचर हो रही है । इस स्थिति में कार्यहित में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक पदस्थापित नही हैं, वहाँ जिला पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का कार्य लें । अन्य पदाधिकारी को आपूर्ति कार्य का प्रभार देने से पूर्व इस पर विभागीय अनुमोदन अपेक्षित होगा । उक्त प्रखंड में विभाग द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक के नियमित पदस्थापन के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को इस प्रकार से दिया गया अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

अनुरोध है कि उक्त नीति का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित कराया जाय ताकि आपूर्ति कार्यो के संचालन सम्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

विश्वासभाजन,

ह0/--

प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक -- प्र03--04/2002-- 5175 खाद्य, पटना/दिनांक-- 31.08.2010

प्रतिलिपि -- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

31/08/2010

प्रधान सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक - प्र3/अ3-04-2002 - 1520 आ0 आ0, पटना/दिनांक - 15

प्रेषक,

अशोक कुमार चौहान,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- प्रखंड आपूर्ति कार्यों के अस्थायी प्रभार के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक सम्वर्ग में आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/विपणन पदाधिकारी का कार्यरत बल स्वीकृत बल की तुलना में काफी कम है । फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर राज्य के सभी प्रखंडों में उनका पदस्थापन सम्भव नहीं हो पा रहा है । इस सम्बन्ध में विभिन्न जिला पदाधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय बैठक आदि के माध्यम से आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों में हो रही कठिनाई की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है ।

इस सन्दर्भ में पूर्व में निर्गत विभिन्न विभागीय अनुदेश द्वारा यह संसूचित किया गया था कि गैर विभागीय पदाधिकारियों को आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों का प्रभार नहीं दिया जाना है । किन्तु, वर्तमान में आपूर्ति निरीक्षक सम्वर्ग में पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की नितान्त कमी तथा विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सूचारु संचालन/पर्यवेक्षण/अनुश्रवण आदि के कारण कार्य की अधिकता को देखते हुए पूरे मामले पर सम्यक विचारोपरान्त बदली हुयी परिस्थिति एवं कार्यहित में सरकार द्वारा तत्काल यह निर्णय लिया गया है कि "जब तक किसी प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियमित रूप से पदस्थापना नहीं होती है तब तक जिला पदाधिकारी कार्यहित में प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का कार्य लें । उक्त प्रखंड में विभाग द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक का नियमित पदस्थापन हो जाने के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को इस प्रकार से दिया गया अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायगा" ।

आग्रह है कि सरकार द्वारा निहित की गयी उक्त नीति का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ताकि आपूर्ति कर्ता के संचालन/सम्पादन में कठिनाई न हो । उपरोक्त नीति से विचलन को सरकार गंभीरता से लेगी । किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अपने मंतव्य के साथ सरकार को प्रतिवेदित किया जाय ताकि उक्त मामले में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय ससमय लिया जा सके ।

पूर्व में निर्गत सम्बन्धित आदेशों को इस हद तक यथा संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 576 दिनांक - 15.9.05 15/9/05

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/राँची प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार चौहान)
सरकार के सचिव

15/9/05

(353)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या – प्र03/नि01–01/03– 7402 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.12.2010

भारत – संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली, 2007" में निम्नांकित संशोधन करते हैं :

उक्त नियमावली में –

1. नियम–4 के उप नियम (1) के खंड (iii) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा –
   " (iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी–101"
2. नियम–10 की तृतीय पंक्ति को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाएगा –

"सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी–101 –पी0बी0–2–9300–34800
ग्रेड पे – 4800
(6,500–200–10,500)"

3. उक्त संशोधन तुरत के प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) 23.12.10
(बैद्यनाथ प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र03/नि01–01/03– 7402 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.12.2010
प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को भेजने की कृपा की जाय ।

(ह0) 23.12.10
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक – प्र03/नि01–01/03– 7402 खाद्य, पटना/दिनांक– 23.12.2010
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, राजस्व पर्षद/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, फुलवारीशरीफ/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह0) 23.12.10
सरकार के अपर सचिव ।

(554)

Government of Bihar
Food & Consumer Protection Department

Notification

G.S.R. .... Patna, Dated ....

In exercise of power, conferred under proviso to article, 309 of the constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in " Bihar Supply Service Rules, 2007"

In the said Rules -

1. Part (iii) of sub Rule (I) of Rule 4 will be substituted by the following -
   "(iii) Assistant District Supply Officer – 101"
2. Third line of Rule 10 will be substituted by the following –
   "Assistant District Supply officer – 101– PB-2- 9300-34800
   Grade Pay-4800
   (6500–200– 10,500)
3. It shall come into force at once .

By the order of Governor of Bihar

23.12.10

(Baidyanath Prasad)
Additional Secretary to the Govt.

Memo No.pra-03/Ni.1/03 7402 /Food,Patna/Dated 23.12.2010
Copy to Superintendent, Govt. Printing Press, Gulzarbagh, Patna for extra ordinary publication in next Bihar Gazette .

2. Requested to send 150 printed copy to the Food & Consumer Protection Deptt.

23.12.10

Additional Secretary to the Govt.

Memo No.pra-03/Ni.1/03 7402 /Food,Patna/Dated 23.12.2010
Copy to Accountant General, Bihar, Patna / All Deptt. to Govt. / All Departmental head / Secretary Revenue Board / Director General, Bihar Public Administration and Rural Development Institute Walmi, Phulwarishariff, Patna / Secretary Bihar, Staff Selection Commission Patna/ All Divisional Commissioner / All District Magistrate for information and necessary action .

23.12.10

Additional Secretary to the Govt.

(555)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र03–प्रो0–04/10– 6852 खाद्य, पटना/दिनांक– 30.11.10

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
सरकार के उप सचिव–सह–
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :– रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के आलोक में बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि षष्ठम केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.01.09 के प्रभाव से प्रभावी होनेवाली रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार आपूर्ति सेवा सवंर्ग के पदाधिकारियों को देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन पर विचार किया जाना है । इस हेतु आपके जिले में पदस्थापित बिहार आपूर्ति सेवा सवंर्ग के पदाधिकारियों, जिन्हें रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 का लाभ देय है, से सम्बन्धित सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में भरकर उनकी सेवापुस्त की अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
23/11/2010
सरकार के उप सचिव–सह–
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक – प्र03–प्रो0–04/10– 6852 खाद्य, पटना/दिनांक– 30.11.2010
प्रतिलिपि – सभी उपनिदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23/11/2010
सरकार के उप सचिव–सह–
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

D:\2010\Sec_3\Hin.doc

(556)

रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना,2010 के अन्तर्गत बिहार आपूर्ति सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को वित्तीय उन्नयन के लाभ की मंजूरी हेतु सूचनाओं के लिए प्रपत्र

1. विभाग/कार्यालय का नाम

2. सरकारी सेवक का नाम

3. जन्म-तिथि/सेवा निवृति की तिथि

4. सरकारी सेवा से प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं पदनाम

5. आपूर्ति निरीक्षक के पद पर योगदान की तिथि एवं वरीयता क्रमांक

6. विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता की स्थिति (वर्षवार) — प्रथम पत्र - द्वितीय पत्र - तृतीय पत्र

7. सेवा सम्पुष्टि की तिथि, तत्संबंधी आदेश की सं० एवं तिथि

8. यदि कोई प्रोन्नति या ए०सी०पी० का लाभ मिला हो तो उसका विवरण — आदेश सं० एवं तिथि - वेतनमान

9. यदि कोई प्रोन्नति रद्द की गयी हो तो उसका विवरण

10. दिनांक 01.01.09 को कुल सेवा अवधि — वर्ष माह दिन

11. 10 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि

12. 20 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि

13. 30 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि

14. विभागीय आरोप/विभागीय कार्यवाही/ आपराधिक कार्यवाही की स्थिति

15. अभ्युक्ति यदि कोई हो तो

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

557

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र03–04/2002– 5175 खाद्य, पटना/दिनांक– 31·08·2010

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय : प्रखंड आपूर्ति कार्यों के अस्थायी प्रभार के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 520 दिनांक 15.03.2005 का संदर्भ लिया जाय । उक्त के माध्यम से निर्दिष्ट है कि जब तक किसी प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियमित रूप से पदस्थापना नही होती है तब तक जिला पदाधिकारी कार्यहित में प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का कार्य लें ।

उल्लेखनीय है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चिन्हित लाभुकों के बीच खाद्यान्न एवं किरासन तेल का वितरण प्रखंड स्तर पर किया जा रहा है । वर्तमान में आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग में पदाधिकारियों/आपूर्ति निरीक्षकों की कमी के कारण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन/पर्यवेक्षण/अनुश्रवण आदि में कठिनाई दृष्टिगोचर हो रही है । इस स्थिति में कार्यहित में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रखंडो में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक पदस्थापित नही हैं, वहाँ जिला पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का कार्य लें । अन्य पदाधिकारी को आपूर्ति कार्य का प्रभार देने से पूर्व इस पर विभागीय अनुमोदन अपेक्षित होगा । उक्त प्रखंड में विभाग द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक के नियमित पदस्थापन के उपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को इस प्रकार से दिया गया अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जाएगा ।

अनुरोध है कि उक्त नीति का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित कराया जाय ताकि आपूर्ति कार्यों के संचालन सम्पादन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 31/08/2010
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक – प्र03–04/2002– 5175 खाद्य, पटना/दिनांक– 31·08·2010

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 31/08/2010
प्रधान सचिव ।

558

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक प्र03-विविध 37/2010 2291 खाद्य,पटना/दिनांक 15.4.2010

प्रेषक,

बैद्यनाथ प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों के लिए दो कमरे तथा सहायक एवं अनुसेवक की पूर्णकालिक व्यवस्था के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकार की विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों के द्वारा किया जा रहा है जिनके प्रभारी बिहार आपूर्ति सेवा सम्वर्ग के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है । इन कार्यालयों के द्वारा प्रखंड स्तर पर चीनी, खाद्यान्न एवं किरासन तेल के कूपन के माध्यम से होने वाले उठाव एवं वितरण का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण तथा संबंधित अभिलेखों का संधारण किया जाता है । परन्तु कार्यालय कक्ष एवं कर्मियों के अभाव में आपूर्ति संबंधी उपर्युक्त कार्यों के संचालन में कठिनाई होती है एवं विभाग द्वारा निर्गत निदेशों का ससमय अनुपालन नहीं हो पाता है । ।

मुख्य सचिव बिहार, पटना के बेतार संवाद सं0 3320 दिनांक 14.06.1986 द्वारा 15.06.1986 के प्रभाव से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय को अंचल से अलग करते हुए इन कार्यालयों के लिए अंचल कार्यालय एवं प्रखंड विकास कार्यालय से एक-एक सहायक एवं अनुसेवक की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था । तदनुसार विभागीय पत्रांक 6122 दिनांक 10.06.1986 एवं 5390 दिनांक 20.10.1989 द्वारा भी इस संदर्भ में कार्रवाई हेतु सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था ।

अतएव अनुरोध है कि प्रखंड परिसर में अवस्थित प्रखंड विकास कार्यालय/अंचल कार्यालय में दो कमरों की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से प्रखंड आपूर्ति कार्यालय के लिए किया जाय साथ ही इस कार्यालय के कार्य सम्पादन हेतु दो सहायक एवं दो अनुसेवक को अविलंब उपलब्ध कराया जाय तथा तद संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

पत्रांक-सू0ज0को0(मु0मं0)-45/08 4711 /खाद्य,पटना-15,दिनांक 10.11.09

प्रेषक,

सुरेश ठाकुर,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) पटना
सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी

विषयः- विभाग से सम्बन्धित "जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम के दिन अपने अपने मुख्यालय में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि सरकार द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे सोमवार के दिन "जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम का आयोजन होता है । उक्त जनता दरबार में आम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों के निराकरण हेतु माननीय मुख्य मंत्री के समक्ष शिकायत पत्र प्रस्तुत किया जाता है । माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जन शिकायत पत्रों पर तत्काल कार्रवाई करने का निदेश सचिव को दिया जाता है । आदेश अनुपालन के क्रम में सचिव द्वारा सम्बन्धित जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर ज्ञात होता है कि उनकी मोबाईल बन्द है अथवा अपने मुख्यालय में उपस्थित नहीं है । इस स्थिति में सचिव से उनकी वार्त्ता नहीं हो पाती है जिससे जन शिकायत पत्र पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाता है । क्षेत्र में कार्यरत प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से भी सम्र्पक नही हो पाता है ।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि "जनता के दरबार में मुख्य मंत्री" कार्यक्रम के दिन अपना मोबाईल दिनभर खुला रखते हुए अपने मुख्यालय कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखें ।

अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षकों के वर्तमान पदस्थापणन प्रखंड/क्षेत्र की सूचना के साथ उनका नाम एवं मोबाईल संख्या तत्काल भेजने की कृपा करें ।

इसे कृपया अत्यावश्यक समझें ।

विश्वासभाजन

10/11

सरकार के उप सचिव ।

D:\backup\Year_2009\Jan Shikayat\letter 4.doc

(560)

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-प्र08विविध-09/08 5424 /खाद्य,पटना/दिनांक 25.9.08

राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं वी0पी0एल0/अन्त्योदय तथा अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान की आपूर्ति की जाती है । साथ ही ए0पी0एल0 एवं वी0पी0एल0 परिवारों को किरासन तेल की भी आपूर्ति अनुदानित दर पर की जाती है । लाभुकों को निर्धारित मात्रा में एवं सही दर पर खाद्यान एवं किरासन तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कूपन योजना भी लागू की गयी है । इसके बावजुद भी सरकार को खाद्यान एवं किरासन तेल के काला बाजारी की शिकायत मिलती रही है । इसका मुख्य कारण क्षेत्रीय स्तर पर पदस्थापित आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी यथा आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा पणन पदाधिकारी के द्वारा कार्य में शिथिलता/लापरवाही बरतना एवं प्रभावी निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण नहीं किया जाना है । लक्षित जनवितरण प्रणाली व्यवस्था के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु दोषी आपूर्ति निरीक्षक/प्र0 आ0 पदाधिकारी के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1) के प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं पणन पदाधिकारियों को निलम्वित करने के लिए अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है ।

2. आरोपित कर्मी के संबंध में की गई कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र एवं सभी साक्ष्य विभाग को एक पक्ष के अन्दर उपलब्ध कराते हुए निलंबन आदेश पर विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

3. निलम्वित कर्मचारी/पदाधिकारी के विरूद्ध सभी कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में की जाएगी ।

4. जिला पदाधिकारी द्वारा निलंबित किये जाने की स्थिति में निलम्बन की अवधि में निलम्बित कर्मी का मुख्यालय, जिला आपूर्ति कार्यालय रहेगा और उनके जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वहीं से होगा ।

25/09/08

(त्रिपुरारि शरण)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08विविध-09/08 5424 /खाद्य,पटना/दिनांक 25.9.08

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25/09/08

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08विविध-09/08 5424 /खाद्य,पटना/दिनांक 25.9.08

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

25/09/08

सरकार के सचिव ।

G:\office order.doc

(51)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र08गो0आ0गोपालगंज-125/08 4602 /खाद्य,पटना/दिनांक 28.8.08

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आरोप पत्र गठित कर प्रस्ताव भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 1112 दिनांक 12.07.05 द्वारा निर्गत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(3) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरूद्ध जाँच करना प्रस्तावित हो वहाँ कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखवद्ध कराया जाय तथा उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो अन्तर्विष्ट रहेगी ।

जिलों / प्रमंडलों से प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव बिना प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किये एवं बिना साक्ष्य तालिका संलग्न किये भेजा जाता है जिस कारण विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने में अनावश्यक विलंब होता है तथा इसका लाभ आरोपी पदाधिकारी को मिल जाता है ।

अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों जो आपके अधीन पदस्थापित है के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु इस विभाग को अनुशंसा किये जाने के साथ - साथ विधिवत आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर पूर्ण साक्ष्य के साथ स्पष्ट प्रस्ताव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजा जाय ताकि अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो ।

विश्वासभाजन,
27/08/08
(त्रिपुरारि शरण)
सरकार के सचिव ।
26.08.08

562

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र03/अ1-15/2006 - 2231 पटना/दिनांक - 3.7.20

प्रेषक,

के. सी. साहा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना/रोहतास/कैमूर/नालन्दा/प0 चम्पारण/
सहरसा/मधेपुरा/समस्तीपुर एवं बेगुसराय ।

विषय :- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक सम्वर्ग के अधीन आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी का पुनरीक्षित बल वितरण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2394 दिनांक 21.7.06 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके जिला के लिए आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी का पुनरीक्षित बल वितरण संसूचित किया गया था । इस संबंध में पुनः समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा विभागीय मुख्यालय एवं पटना अनुभाजन में पणन पदाधिकारी के पद की आवश्यकता को देखते हुये निम्नांकित जिलों में पणन पदाधिकारी का बल वितरण स्तम्भ-3 के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाता है ।

जिला/ स्थान का नाम	पत्रांक 2394 दिनांक 21.7.06 के अनुसार पणन पदाधिकारी का निर्धारित बल	पणन पदाधिकारी का संशोधित बल
1	2	3
सचिवालय, मुख्यालय	2	5
पटना अनुभाजन	6	11

रोहतास	9	8
कैमूर	6	5
नालन्दा	10	9
प0 चम्पारण	9	8
सहरसा	5	4
मधेपुरा	7	6
समस्तीपुर	10	9
बेगुसराय	9	8

विश्वासभाजन,

(के. सी. साहा)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक 2231 / पटना, दिनांक 3.7.2007

प्रतिलिपि- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/उप निदेशक, खाद्य/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी 1/5/7, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के. सी. साहा)
प्रधान सचिव ।

C:\My Documents\sec_3.doc

(5

बिहार सरकार
खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक - प्र03/अ1-15/2006 - 2394 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 21.7.06

प्रेषक,

के0 सी0 साहा,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक सम्वर्ग के अधीन आपूर्ति निरीक्षक / पणन पदाधिकारी का पुनरीक्षित बल वितरण ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक सम्वर्ग के अधीन आपूर्ति निरीक्षक एवं पणन पदाधिकारी के स्वीकृत पदों को विभागीय पत्रांक 1351 दिनांक 30.05.05 द्वारा निम्न प्रकार चिन्हित किया गया है :-

1. आपूर्ति निरीक्षक - 611
2. पणन पदाधिकारी - 316

नये जिलों/अनुमंडलों/प्रखंडों के सृजन के फलस्वरूप आपूर्ति सम्बन्धी कार्यों का सुचारू रूप से सम्पादन सुनिश्चित कराने के लिए आपूर्ति निरीक्षक एवं पणन पदाधिकारी के पुनरीक्षित बल का वितरण किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी क्योंकि पूर्व में विभागीय पत्रांक 5499 दिनांक 25.06.84 द्वारा स्वीकृत पदों को उस समय विद्यमान् प्रमंडल / जिला / अनुमंडल / प्रखंड में वितरित किया गया था ।

अतः वर्तमान में विद्यमान् प्रमंडल / जिला / अनुमंडल / प्रखंड स्तर पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त सरकार ने संलग्न तालिका के अनुसार आपूर्ति निरीक्षक/पणन पदाधिकारी के बल वितरण को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है । तत्सम्बन्धी पुनरीक्षित बल वितरण की तालिका आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न है ।

कृपया पत्र प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

विश्वासभाजन,

(के0 सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव ।

F:backup\DOC\D K .doc

ज्ञापांक - 2394 दिनांक - 21.7.06

प्रतिलिपि - सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति / विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना अनुभाजन / अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी- 1, 5 एवं 7 खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना को संलग्न तालिका की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.7.06

आयुक्त एवं सचिव ।

F:\backup\DOC\D.K.doc

प्र[illegible]	जिला	अनुमंडल की संख्या	प्रखंड की संख्या	पणन पदाधिकारी							आपूर्ति निरीक्षक							अभ्युक्ति
				सचिवालय स्तर	प्रमंडल स्तर	जिला स्तर	अनुमंडल स्तर	अनुभाजन स्तर	प्रखंड स्तर	कुल योग	सचिवालय स्तर	प्रमंडल स्तर	जिला स्तर	अनुमंडल स्तर	अनुभाजन/ शहर स्तर	प्रखंड स्तर	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
मुंगेर	मुंगेर	2	9	---	1	1	---	---	4	6	---	---	1	---	---	9	10	जिला स्तर के लिए आवंटित बल जिला / अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित किये जा सकेंगे ।
	जमुई	1	10	---	---	1	---	---	5	6	---	---	1	---	---	10	11	
	शेखपुरा	1	6	---	---	1	---	---	3	4	---	---	1	---	---	6	7	
	लखीसराय	1	7	---	---	1	---	---	3	4	---	---	1	---	---	7	8	
	बेगूसराय	5	18	---	---	1	---	---	9	10	---	---	1	---	---	18	19	
	खगड़िया	2	7	---	---	1	---	---	3	4	---	---	1	---	---	7	8	
दरभंगा	दरभंगा	3	18	---	1	1	---	---	9	11	---	---	1	---	---	18	19	
	समस्तीपुर	4	20	---	---	1	---	---	10	11	---	---	1	---	---	20	21	
	मधुबनी	5	21	---	---	1	---	---	10	11	---	---	1	---	---	21	22	
कोशी	सहरसा	2	10	---	1	1	---	---	5	7	---	---	1	---	---	10	11	
	सुपौल	4	11	---	---	1	---	---	5	6	---	---	1	---	---	11	12	
	मधेपुरा	2	13	---	---	1	---	---	7	8	---	---	1	---	---	13	14	
पूर्णिया	पूर्णिया	4	14	---	1	1	---	---	7	9	---	---	1	---	---	14	15	
	अररिया	2	9	---	---	1	---	---	4	5	---	---	1	---	---	9	10	
	किशनगंज	1	7	---	---	1	---	---	3	4	---	---	1	---	---	7	8	
	कटिहार	3	16	---	---	1	---	---	8	9	---	---	1	---	---	16	17	
			कुल योग :-	2	9	38	0	6	261	316	4	0	38	0	35	534	611	

(के० सी० साहा)
आयुक्त एवं सचिव ।

566

padsthanpan_sheet_5

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक एवं पणन पदाधिकारी का पुनरीक्षित बल वितरण संख्या

विभागीय पत्रांक 1351 दिनांक 30.05.05 द्वारा चिन्हित पद का विवरण -
आपूर्ति निरीक्षक - 611 पणन पदाधिकारी - 316

प्रमंडल	जिला	अनुमंडल की संख्या	प्रखंड की संख्या	पणन पदाधिकारी							आपूर्ति निरीक्षक							अभ्युक्ति
				सचिवालय स्तर	प्रमंडल स्तर	जिला स्तर	अनुमंडल स्तर	अनुभाजन स्तर	प्रखंड स्तर	कुल योग	सचिवालय स्तर	प्रमंडल स्तर	जिला स्तर	अनुमंडल स्तर	अनुभाजन/ शहर स्तर	प्रखंड स्तर	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
पटना	पटना	6	23	2	1	1	---	6	11	21	4	---	1	---	35	23	63	जिला स्तर के लिए आवंटित बल जिला / अनुमंडल मुख्यालय अवस्थित शहरी क्षेत्रों में पदस्थापित किये जा सकेंगे ।
	भोजपुर	3	14	---	---	1	---	---	7	8	---	---	1	---	---	14	15	
	बक्सर	2	11	---	---	1	---	---	6	7	---	---	1	---	---	11	12	
	रोहतास	3	19	---	---	1	---	---	9	10	---	---	1	---	---	19	20	
	कैमूर	2	11	---	---	1	---	---	6	7	---	---	1	---	---	11	12	
	नालन्दा	3	20	---	---	1	---	---	10	11	---	---	1	---	---	20	21	
मगध	गया	5	24	---	1	1	---	---	12	14	---	---	1	---	---	24	25	
	जहानाबाद	1	7	---	---	1	---	---	3	4	---	---	1	---	---	7	8	
	अरवल	1	5	---	---	1	---	---	2	3	---	---	1	---	---	5	6	
	नवादा	2	14	---	---	1	---	---	7	8	---	---	1	---	---	14	15	
	औरंगाबाद	2	11	---	---	1	---	---	6	7	---	---	1	---	---	11	12	
तिरहुत	मुजफ्फरपुर	2	16	---	1	1	---	---	8	10	---	---	1	---	---	16	17	
	वैशाली	3	16	---	---	1	---	---	8	9	---	---	1	---	---	16	17	
	पू0 चम्पारण	6	27	---	---	1	---	---	13	14	---	---	1	---	---	27	28	
	प0 चम्पारण	3	18	---	---	1	---	---	9	10	---	---	1	---	---	18	19	
	सीतामढ़ी	3	17	---	---	1	---	---	8	9	---	---	1	---	---	17	18	
	शिवहर	1	5	---	---	1	---	---	2	3	---	---	1	---	---	5	6	
सारण	सारण	3	20	---	1	1	---	---	10	12	---	---	1	---	---	20	21	
	सिवान	2	19	---	---	1	---	---	9	10	---	---	1	---	---	19	20	
	गोपालगंज	2	14	---	---	1	---	---	7	8	---	---	1	---	---	14	15	
भागलपुर	भागलपुर	3	16	---	1	1	---	---	8	10	---	---	1	---	---	16	17	
	बांका	1	11	---	---	1	---	---	5	6	---	---	1	---	---	11	12	

568

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-पृ० 6/विविध-04/2001- 1154 /आ०वा०, पटना-15, दिनाक- 23.3.2001

प्रेषक,

श्री जी० एस० कंग,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-16514, दिनाक-5.12.80 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त पत्र द्वारा सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि अनाम एवं छद्मनामी परिवाद पत्र, चाहें वे प्रत्यक्षतः कि भी विशिष्ट प्रतीत होते हों, पर कोई कार्रवाई नहीं की जाय ।

यद्यपि सरकार कृत संकल्प है कि सरकारी नीतियों एवं योजनाओं के ठोस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी माने जायेंगे तथापि सरकार केसमक्ष ऐसे दृष्टान्त समय-समय पर आते रहे हैं कि प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध, निहित स्वार्थ एवं पदाधिकारियों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर अनामी एवं छद्मनामी परिवादों की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाया जाना अपेक्षित है । ऐसे परिवाद पत्रों की जाँच या उसके निष्पादन में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता है तथा दूसरी ओर कोई ठोस परिणाम अंततः नहीं मिल पाता है ।

उपर्युक्त बिन्दु पर विचारोपरांत यह आवश्यक है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जाय । पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुला पत्र और पम्पलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायगी । जहाँ परिवाद-पत्र स्पष्टतः हस्ताक्षरित हों, आरोप विशिष्ट प्रकृति के हों, परिवाद पत्र के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र लगा हो, परिवादी को तुरन्त बुला कर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर यह जान लेना आवश्यक रूप से संभव हो कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें क्या कहना है तथा आरोप के सम्बन्ध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया

कृ० पृ० उ०...2

प्रारंभ की जाय । जाँच के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय या न यह आरोपों की प्रकृति पर निर्भर करेगा ।

अनुरोध है कि परिवाद पत्र पर कार्रवाई के सम्बन्ध में उपर्युक्त मानक के अ में अग्रत्तर कार्रवाई की जाय और इनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

आयुक्त एवं सचिव।

रवीन्द्र
22. 3. 2001

570

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ 1929 (श०)

(सं० पटना 507) पटना, सोमवार 4 जून 2007

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं

1 जून 2007

जी० एस० आर० 5—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल **आपूर्ति निरीक्षक** के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली "बिहार आपूर्ति सेवा नियमावली, 2007" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार होगा।

(3) यह तुरत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।— जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है - बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है - प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है - राज्य सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग;

(v) "आयोग" से अभिप्रेत है - बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(vi) "सेवा" से अभिप्रेत है - बिहार आपूर्ति सेवा;

(vii) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है - इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट ।

3. सेवा/संवर्ग का गठन।—(1) इस सेवा या संवर्ग में निम्नांकित कोटि के पद होंगे -

(i) आपूर्ति निरीक्षक,

(ii) पणन पदाधिकारी,

(iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,

(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

(2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे ।

4. प्राधिकृत बल।—(1) सेवा का वर्तमान बल निम्नांकित है, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर पद-सृजन अथव पद समाप्ति के फलस्वरूप सेवाबल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा :-

(i) आपूर्ति निरीक्षक	-	611
(ii) पणन पदाधिकारी	-	316
(iii) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	036
(iv) जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	012

(2) उपनियम (1) के तहत निर्धारित स्वीकृत बल के आधार पर विभिन्न जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर पदों का चिन्हीकरण संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से आपूर्ति निरीक्षक, पणन पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग के सभी कर्मी इस सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।

5. आरक्षण।— सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे ।

6. सेवा में भर्ती।— (1) सेवा में प्रवेश विन्दु पर आपूर्ति निरीक्षक का पद होगा, जिस पर भर्ती आयोग की अनुशंसा पर की जायेगी । प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को दिसम्बर माह तक भेज दी जायेगी। आयु की अर्हता1ली. जनवरी के आधार पर होगी ।

(क) आपूर्ति निरीक्षक की रिक्ति का 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

(ख) आपूर्ति निरीक्षक का 25 प्रतिशत पद सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।

(2) भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता तथा भर्ती की प्रक्रिया परिशिष्ट-I के उपबंधो के अनुसार होगी। उक्त परिशिष्ट के प्रावधानों में सम्वर्ग नियंत्रण प्राधिकार अलग से अधिसूचना निर्गत कर समय-समय पर संशोधन कर सकेगा।

7. परीक्ष्यमान अवधि।— नियम-6 के तहत भर्ती किये गये आपूर्ति निरीक्षक को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी, जिसे सेवा तथा कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। बढ़ायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषजनक नही रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त आपूर्ति निरीक्षक को सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

8. विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि।— (1) परीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों के मामलों में सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक नहीं होगा।

(2) विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण विभाग द्वारा अलग से अधिसूचना के तहत किया जा सकेगा।

9. प्रशिक्षण।— परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा संचालित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

10. वेतनवृद्वि।—नियुक्ति के पश्चात् राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उतीर्ण होने के पश्चात् ही प्रथम एवं पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी ।

11. प्रोन्नति।— (i) इस सेवा के सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी :-

(क) आपूर्ति निरीक्षक से पणन पदाधिकारी के पद पर।

(ख) पणन पदाधिकारी से सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ग) सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर।

(ii) प्रोन्नति योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होगी ।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 280, दिनांक 05 जुलाई 2002 के अन्तर्गत निधरित तथा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा ।

12. वरीयता।— आपूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा में उतीर्णांक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित सूची के वरीयता क्रम में इनकी वरीयता देय होगी ।

13. इस नियमावली के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई भ्रम हो, तो विभाग द्वारा की गयी व्याख्या अंतिम होगी ।

14. विनियम बनाने की शक्ति।— इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

15. निरसन एवं व्यावृति।— इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के प्रभाव से आपूर्ति निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 1993 निरसित समझी जायेगी । ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

परिशिष्ट - I

[नियम 6 (ii) द्रष्टव्य]

1. सम्वर्ग/पद का नाम	-	आपूर्ति निरीक्षक
2. पदों की संख्या	-	611
3. वेतनमान	-	5000-150-8000
4. आयोग का नाम, जिसकी अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति होनी है	-	बिहार कर्मचारी चयन आयोग
5. सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु	-	न्यूनतम आयु - 21 वर्ष अधिकतम आयु - अधिकतम आयु वही होगी जो समय-समय पर राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्धारित किया जाय ।
6. सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता	-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ।

7. सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता -

(i) आपूर्ति निरीक्षक के नियमित वेतनमान से नीचे के वेतनमान में कार्यरत हों।

(ii) आवेदन की तिथि (आवेदन के वर्ष की 1ली. जनवरी) को 45 वर्ष से अधिक उम्र के नही हों।

(iii) आवेदन की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी किये हों।

(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री उतीर्ण हों।

8. प्रशिक्षण - परीक्ष्यमान अवधि में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) बाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा । प्रशिक्षण का विषय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिपार्ड की आपसी बात-चीत के आधार पर तैयार किया जायेगा ।

9. विभागीय प्रोन्नति समिति - विभागीय प्रोन्नति समिति निम्न प्रकार होगी:-

(क) प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	अध्यक्ष
(ख) स्थापना प्रभारी उप/अवर-सचिव	सदस्य सचिव
(ग) विभाग के अन्य उप/अवर-सचिव	सदस्य
(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मनोनित अनु0जाति/जन-जाति का प्रतिनिधि	सदस्य

10. प्रोन्नति का पद		पदों की संख्या	वेतनमान
पणन पदाधिकारी	-	316	5500-175-9000
सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	014+22	6500-200-10500
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	-	007+05	8000-275-13500

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सी0 साहा,
प्रधान सचिव ।

1 जून 2007

जी0 एस0 आर0 6—जी0 एस0 आर0 5, दिनांक 4 जून 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुछेद-348 के खंड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) - अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

1st June 2007

G.S.R5—In exercise of powers, conferred under proviso to article, 309 of Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules regarding service conditions of Supply Inspectors:-

1. *Short title, extent and commencement* :— (*i*) This Rule may be called "Bihar Supply Service Rule 2007".

(*ii*) It extends to the whole of the State of Bihar.

(*iii*) It shall come in to force immediately.

2. *Definitions* :— In this Rule unless the context otherwise requires :- (*i*) "State Government" means the Government of the State of Bihar.

(*ii*) "Appointing Authority", means Principal Secretary/Commissioner and Secretary/ Secretary, Food and Consumer Protection Department.

(*iii*) "Cadre Controlling Authority;" means Food and Consumer Protection Department of the Government of Bihar.

(*iv*) "Department", means Food and Consumer Protection Department of the Government of Bihar.

(*v*) "Commission", means Bihar Staff Selection Commission.

(*vi*) "Service", means Bihar Supply Service.

(*vii*) "Appendix" means - Appendix annexed with this rule.

3. *Service/Cadre Formation*:— (1) There shall be following category in this service/ cadre.

(*i*) Supply Inspector.

(*ii*) Marketing Officer.

(*iii*) Assistant District Supply Officer.

(*iv*) District Supply Officer.

(2) Prior to formation of this rule the existing personnel in the said category shall be automatically included in the cadre.

4. *Sanctioned Strength* :— (1)The present strength of this service is as follows but the service strength shall be revised from time to time as per requirement by creation and abolition of posts in this cadre -

(*i*) Supply Inspector	-	611
(*ii*) Marketing Officer	-	316
(*iii*) Assistant District Supply Officer	-	36
(*iv*) District Supply Officer	-	12

(2) The cadre controlling Authority under sub-rule-1 shall identify the post at different district and sub-division level according to sanctioned service strength of the cadre.

(3) All personnel of Supply Inspector cadre and working on the post of Supply Inspector, Marketing Officer, Assistant District Supply Officer and District Supply Officer shall be considered member of this service.

5. *Reservation*:— The provision of reservation/roster shall be applicable in the appointment/promotion in the service /cadre from time to time fixed by the State Government.

6. *Recruitment in the Service*:—(1) The post of Supply Inspector shall be filled at the entrance point in the service on which the recruitment shall be done on the recommendation of Commission. Requisition for the vacancies of every calendar year shall be sent to Commission. The eligibility of age shall be on the basis of 1st January -

(a) 75% post of Supply Inspector shall be filled up by direct recruitment.

(b) 25% post of Supply Inspector shall be filled up by promotion/appointed by limited competitive examination.

(2) The Educational qualification and eligibility as well the recruitment process shall be according to sub-clause of Appendix-I. The cadre controlling authority shall by notification make amendments from time to time in the said provisions of the Appendix.

7. *Probation Period*:— Recruited Supply Inspector, under rule-6 shall be declared probationer from the date of appointment. Probation period shall be of two years which may be extended for one year in case the service and conduct is not found satisfactory. During extended period of probation if the service is not satisfactory, the appointed probationer Supply Inspector may be discharged from the service.

8. *Departmental Examination/Confirmation*:— After satisfactory completion of probation period, prescribed training and after passing the departmental examination, the service shall be confirmed; but this rule shall not be applicable in case of already appointed and working officers prior to the commencement of this rule and they shall not be required to pass departmental examination and under go requisite training.

(2) The department shall prescribe the syllabus for the departmental examination by a separate notification.

9. *Training* :— During probation period every personnel shall compulsorily participate in training conducted by Bihar Public Administration and Rural Development Institute (Bipard) Walmi, Phulwarisharif, Patna.

10. *Increment*:—After appointment the first and subsequent increment shall be sanctioned after passing the Hindi noting and drafting examination conducted by the Raj Bhasha Department.

11. *Promotion*:— (*i*) The promotional avenue for the confirmed personnel in the service shall be in the following manner:-

(*a*) From the Supply Inspector to the post of the Marketing Officer.

(*b*) From the Marketing Officer to the post of Assistant District Supply Officer.

(*c*) From Assistant District Supply Officer to the post of District Supply Officer.

(*ii*) The promotion shall be considered according to the Merit cum Seniority on the basis of recommendation of departmental promotional committee.

(*iii*) The promotion shall be considered after completion of fixed and revised Kalawadhi from time to time as per resolution no. 280, dt. 5th July 2002 of Personnel and Administrative Reforms Department.

12. *Seniority*:—The seniority shall be decided on the basis of marks obtained and recommended merit list in the examination conducted by the commission for the appointment of Supply Inspector

13. If there is any confusion in the interpretation of any provision of this rule, the decision of department shall be final.

14. *The power to make regulation* :— To make the provision of this rule effective the department may make regulation as per requirement.

15. *Repeal and Savings*:— From the date of commencement of this rule the Supply Inspector cadre recruitment rule, 1993 shall stand repealed notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under said rule, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this rule, as if the said rule was effective on the day when such work and action had been implemented.

APPENDIX - I
[*See Rule 6*(ii)]

1. Cadre / Name of the Post	:	Supply Inspector
2. No. of Post	:	611
3. Pay Scale	:	5000-150-8000
4. Name of Commission on whose recommendation the appointment is held.	:	Bihar Staff Selection Commission.
5. Minimum & Maximum Age for Direct Recruitment	:	Minimum Age - 21 yrs. Maximum Age - Maximum shall be the same which is fixed from time to time by the State Govt. (Personnel & Administrative Reforms Department.)
6. Minimum Qualification for the Direct Recruitment.		Graduate Degree from recognised University.

7. Minimum Qualification for the appointment from limited competitive examination :- (*i*) Working in the lower pay scale then the regular pay scale of Supply Inspector.

(*ii*) Age shall not be more than 45 yrs. on the date of application (1st January of the applying yrs).

(*iii*) 10 years of service should be completed under State Govt. Service on the date of application.

(*iv*) Passed out from the recognised university.

8. *Training* : During probation period it is essential to participate in the training programme conducted by Bihar Public Administration and Rural Development Institution (Bipard) Walmi, Phulwari-shariff, Patna. Training curriculum shall be prepared on the basis reciprocal conversation between Food and Consumer Protection Department and Bipard itself.

9. Departmental promotional committee— D.P.S shall be constituted in following manner -

(*a*) Principal Secretary/ Commissioner and Secretary/ Secretary, Food & Consumer Protection Deptt.	-	Chairman
(*b*) Establishment Incharge, Deputy/Under Secretary	-	Member/Secretary
(*c*) Other, Deputy/Under Secretary	-	Member
(*d*) Nominated Schedule Caste/Schedule Tribe representative by personnel & Administrative Reforms Department.	-	Member

10. Post for Promotion	*No. of Post*	*Scale of Pay*
The Marketing Officer	316	5500-175-9000
Assistant District Supply Officer	14+22=36	6500-200-10500
District Supply Officer	7+5=12	8000-275-13500

By order of the Governor of Bihar,
K. C. SAHA,
Principal Secretary.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+150-डी0 टी0 पी0।

6. *Recruitment in the Service*:—(1) The post of Supply Inspector shall be filled at the entrance point in the service on which the recruitment shall be done on the recommendation of Commission. Requisition for the vacancies of every calendar year shall be sent to Commission. The eligibility of age shall be on the basis of 1st January -

(a) 75% post of Supply Inspector shall be filled up by direct recruitment.

(b) 25% post of Supply Inspector shall be filled up by promotion/appointed by limited competitive examination.

(2) The Educational qualification and eligibility as well the recruitment process shall be according to sub-clause of Appendix-I. The cadre controlling authority shall by notification make amendments from time to time in the said provisions of the Appendix.

7. *Probation Period*:— Recruited Supply Inspector, under rule-6 shall be declared probationer from the date of appointment. Probation period shall be of two years which may be extended for one year in case the service and conduct is not found satisfactory. During extended period of probation if the service is not satisfactory, the appointed probationer Supply Inspector may be discharged from the service.

8. *Departmental Examination/Confirmation*:— After satisfactory completion of probation period, prescribed training and after passing the departmental examination, the service shall be confirmed; but this rule shall not be applicable in case of already appointed and working officers prior to the commencement of this rule and they shall not be required to pass departmental examination and under go requisite training.

(2) The department shall prescribe the syllabus for the departmental examination by a separate notification.

9. *Training* :— During probation period every personnel shall compulsorily participate in training conducted by Bihar Public Administration and Rural Development Institute (Bipard) Walmi, Phulwarisharif, Patna.

10. *Increment*:—After appointment the first and subsequent increment shall be sanctioned after passing the Hindi noting and drafting examination conducted by the Raj Bhasha Department.

11. *Promotion*:— (*i*) The promotional avenue for the confirmed personnel in the service shall be in the following manner:-

(*a*) From the Supply Inspector to the post of the Marketing Officer.

(*b*) From the Marketing Officer to the post of Assistant District Supply Officer.

(*c*) From Assistant District Supply Officer to the post of District Supply Officer.

(*ii*) The promotion shall be considered according to the Merit cum Seniority on the basis of recommendation of departmental promotional committee.

(*iii*) The promotion shall be considered after completion of fixed and revised Kalawadhi from time to time as per resolution no. 280, dt. 5th July 2002 of Personnel and Administrative Reforms Department.

12. *Seniority*:—The seniority shall be decided on the basis of marks obtained and recommended merit list in the examination conducted by the commission for the appointment of Supply Inspector

13. If there is any confusion in the interpretation of any provision of this rule, the decision of department shall be final.

14. *The power to make regulation* :— To make the provision of this rule effective the department may make regulation as per requirement.

15. *Repeal and Savings*:— From the date of commencement of this rule the Supply Inspector cadre recruitment rule, 1993 shall stand repealed notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under said rule, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this rule, as if the said rule was effective on the day when such work and action had been implemented.

APPENDIX - I
[*See Rule 6*(ii)]

1. Cadre / Name of the Post	:	Supply Inspector
2. No. of Post	:	611
3. Pay Scale	:	5000-150-8000
4. Name of Commission on whose recommendation the appointment is held.	:	Bihar Staff Selection Commission.
5. Minimum & Maximum Age for Direct Recruitment	:	Minimum Age - 21 yrs. Maximum Age - Maximum shall be the same which is fixed from time to time by the State Govt. (Personnel & Administrative Reforms Department.)
6. Minimum Qualification for the Direct Recruitment.		Graduate Degree from recognised University.

7. Minimum Qualification for the appointment from limited competitive examination :- (*i*) Working in the lower pay scale then the regular pay scale of Supply Inspector.

(*ii*) Age shall not be more than 45 yrs. on the date of application (1st January of the applying yrs).

(*iii*) 10 years of service should be completed under State Govt. Service on the date of application.

(*iv*) Passed out from the recognised university.

8. *Training*	:	During probation period it is essential to participate in the training programme conducted by Bihar Public Administration and Rural Development Institution (Bipard) Walmi, Phulwari-shariff, Patna. Training curriculum shall be prepared on the basis reciprocal conversation between Food and Consumer Protection Department and Bipard itself.

9. Departmental promotional committee— D.P.S shall be constituted in following manner -

(*a*) Principal Secretary/ Commissioner and Secretary/ Secretary, Food & Consumer Protection Deptt.	-	Chairman
(*b*) Establishment Incharge, Deputy/Under Secretary	-	Member/Secretary
(*c*) Other, Deputy/Under Secretary	-	Member
(*d*) Nominated Schedule Caste/Schedule Tribe representative by personnel & Administrative Reforms Department.	-	Member

10. Post for Promotion	No. of Post	Scale of Pay
The Marketing Officer	316	5500-175-9000
Assistant District Supply Officer	14+22=36	6500-200-10500
District Supply Officer	7+5=12	8000-275-13500

By order of the Governor of Bihar,
K. C. SAHA,
Principal Secretary.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 507-571+150-डी0 टी0 पी0।

(578)

बिहार सरकार,

खाद्य,आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-पु3/आ5-29/2000- 4843 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक- 9.12.02

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

भोजपुर ।

विषय:- श्री सुमन कुमार सिन्हा,आपूर्ति निरीक्षक,भोजपुर जिला को मुख्यालय वापस करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित अपने ज्ञापांक-734, दिनांक-31.10.2002 का कृपया स्मरण करें । उक्त आदेश द्वारा श्री सुमन कुमार सिन्हा,आपूर्ति निरीक्षक, भोजपुर जिला को कतिपय कारणों से मुख्यालय में योगदान करने हेतु भोजपुर जिला से विरमित किया जा चुका है । उक्त आलोक में श्री सिन्हा का मुख्यालय में दिनांक-1.11.02 के पूर्वाह्न में योगदान प्राप्त हुआ है ।

निवेदित है कि अद्यतन विभागीय पत्र सं0-3750, दिनांक-24.9.96 एवं 2920, दिनांक-23.6.98 द्वारा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि किसी भी स्थिति में क्षेत्रीय आपूर्ति कर्मियों की सेवा सीधे सचिवालय में वापस नहीं की जाय एवं इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय । यदि किसी पदाधिकारी का कार्यकलाप संतोषप्रद एवं उत्तरदायित्वपूर्ण न हो या उनके विरूद्ध कोई आरोप हो तो इसकी जाँच कराकर आरोप प्रमाणित होने पर उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को लिखने के लिए जिला पदाधिकारी पूर्णतः सक्षम हैं । किन्तु ऐसा न कर पदाधिकारियों को सीधे सचिवालय लौटा देने, जिला मुख्यालय में बैठाकर रखने से विडम्बनापूर्ण प्रशासनिक स्थितियाँ उत्पन्न होती है । यह सर्वथा अव्यावहारिक तथा सरकारी कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्षतः हस्तक्षेप है ।

अतः उपर्युक्त विभागीय निदेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सुमन कुमार सिंहा,आपूर्ति निरीक्षक की सेवाएँ वापस करते हुए भोजपुर जिले में अपने पूर्व पदस्थापित स्थान पर योगदान करने का आदेश दिया जाता है ।

कृ0 पृ0 उ0....2

आ है कि उपर्युक्त संदर्भ में सरकारी नीति का दृढ़ता से पालन किया जाय ताकि भ ... कार के समक्ष प्रशासनिक एवं न्यायिक विवाद के ... उत्पन्न होने की स्थिति न आने ... ।

कृत कार्रवाई से विभाग को निश्चित रूप से अवगत कराया जाय ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- 1843 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक- 9.12.02

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी (भोजपुर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- 1845 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक- 9.12.02

प्रतिलिपि-श्री सुमन कुमार सिंहा,आपूर्ति निरीक्षक,मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

रवीन्द्र/-

(के0 एम0 शर्मा)
सरकार के उप सचिव ।

580

बिहार सरकार,
खाद्य,आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-पु3/आ-05/02- 4750 /आ0वा0,पटना-15, दिनांक- 3.12.2002

प्रेषक,

श्री जी0 एस0 कंग,
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई ।

विषय:- जमुई जिला में जिला स्तर पर आपूर्ति कार्यो के सम्पादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अपर समाहर्त्ता,जमुई द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक-832, दिनांक-30.10.02 का कृपया निदेश किया जाय । उक्त आदेश द्वारा जिला स्तर पर आपूर्ति शाखा का गठन किया गया है,जो सर्वथा उपर्युक्त है किन्तु जिला आपूर्ति शाखा का प्रभार गैर विभागीय दो पदाधिकारियों को दिया जाना कार्यो के त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

विदित है कि जमुई जिला के नवसृजित होने के कारण वहाँ जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है । विभागीय पत्रांक-1476, दिनांक-23.3.93 द्वारा यह संसूचित किया जा चुका है कि नवसृजित जिलों में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ही प्राधिकृत किया जाय ।

उक्त आलोक में ~~सम्यक~~ समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जमुई जिला में जिला स्तरीय आपूर्ति कार्यो का निष्पादन विभागीय वरीय पदाधिकारी श्री भरत कुमार सिंहा,प्रभारी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जमुई के द्वारा कराया जाय । श्री सिन्हा सभी संचिकाओं का उपस्थापन सीधे जिला पदाधिकारी के समक्ष करेंगे और एकमात्र वे ही जिला पदाधिकारी,जमुई के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे ।

आग्रह है कि तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदित करने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,

आयुक्त एवं सचिव ।

कृ0 पृ0 उ0...2

581

ज्ञापांक- 4750 /आ०वा०,पटना-15, दिनांक- 3.12.02

प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी [जमुई को छोड़कर] को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- 4750 /आ०वा०,पटना-15, दिनांक- 3.12.02

प्रतिलिपि-अनुमण्डल पदाधिकारी,जमुई/श्री भरत कुमार सिन्हा,प्रभार सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी,जमुई को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त एवं सचिव ।

582

[redacted]

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 कार्तिक 1912 (श०)

(सं० पटना 460) पटना, रविवार, 21 अक्तूबर, 1990

सं0 5575-आ0 बा0

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग।

संकल्प

9 अक्तूबर 1990

जून, 1986 से प्रखंड स्तर पर प्रखंड आपूर्ति कार्यालय की पृथक एवं स्वतंत्र रूप में स्थापना की गई है। जनता के बीच पदाधिकारियों की सही पहचान के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रखंड स्तर पर खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी मामलों के प्रभारी पदाधिकारी अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कहलाएगें। विभागीय अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर०30, दिनांक 27 दिसम्बर, 1988 द्वारा इन्हें प्रवेश, तलाशी एवं जप्ती की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं। ये सभी राजपत्रित पदाधिकारी होंगे।

2. आदेश—आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित कराया जाय ताकि इसकी जानकारी सभी को प्राप्त हो सके।

बी० कपथुआमा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 460 लाईनो—787—1,000—नरेन्द्र शर्मा।

583

बिहार सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक प्र3/035-60/86-5652/(आ० वा०) पटना-15 दिनांक 8.9.1987

प्रेषक,

श्री चन्द्र मोहन प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

विषय : पणन पदाधिकारी की अनुपस्थिति विवरणी के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक 514 जि० आ० वा०, दिनांक–10.4.87 के प्रसंग मे मुझे कहना है कि सरकार के निर्णयानुसार वरीय पणन पदाधिकारी या पणन पदाधिकारी जो प्रखंड के प्रभार में है वेतन निकासी पदाधिकारी को स्वयं अनुपस्थिति विवरणी देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी (वेतन निकासी पदाधिकारी) पणन पदाधिकारियों द्वारा समर्पित अनुपस्थिति विवरणी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही उनके वेतन के भुगतान का आदेश देंगे।

विश्वासभाजन
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–5652, आ० वा० पटना–15 दिनांक–8.9.1987

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं अवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

(584) (72)

बिहार सरकार,

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक -पु3 --प 2-04/86-खा॰आ॰ [illegible], पटना-15, दिनांक 10 जून, 86

प्रेषक,

श्री चन्द्र मोहन झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

सभी समाहर्त्ता ।

विषय -- वरीय प्रभार पदाधिकारी / प्रभार पदाधिकारी को अंचल में खाद्य आपूर्ति संबंधी कार्यों का स्वतंत्र प्रभार प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार, आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव द्वारा [illegible] दूरमुद्रक / बेतार संवाद सं॰--35[illegible], दिनांक 4·6·86 की ओर आकृष्ट करते मुझे कहना है कि सरकार ने दिनांक 15 जून, 1986 से खाद्य एवं आपूर्ति कार्य अंचलाधिकारियों से विमुक्त करने का निर्णय लिया है जिसके अनुसार उक्त [illegible] तिथि से प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति कार्यालय पृथक एवं स्वतंत्र रूप से कार्य कर[illegible] और उसके प्रभारी पदाधिकारी वरीय प्रभार पदाधिकारी या प्रभार पदाधि[illegible] होंगे । इस कार्य क्रम को कार्यान्वित करने के लिये निम्नांकित कार्रवाईयाँ अपे[illegible] है :-

§1§ जिला पदाधिकारी अंचल तथा प्रखंड में एक --एक सहायक तथा ए[illegible] चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आपूर्ति कार्य के सम्पादन के लिये अविलंब उपलब्ध करायेंगे

§2§ अंचल कार्यालय के प्रधान [illegible] कोटि के सहायक इन सहायकों तथा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के कार्यालय प्रधान के रूप में कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे ।

§3§ जिला पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर आपूर्ति कार्यालय के संचालन लिये प्रखंड कार्यालय में पर्याप्त स्थान उपलब्ध करायेंगे ।

§4§ जिला एवं अनुमंडलीय मुख्यालय अंचल, भौगोलिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से बड़े अंचलों में आपूर्ति संबंधी कार्यों के प्रभारी में वरीय प्रभार पदाधिकारी होंगे । प्रत्येक प्रखंड में आपूर्ति निरीक्षक है, जो इस खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय के लिये कार्यकर्त्ता होंगे ।

§5§ अन्य अंचलों में पणन पदाधिकारी अपने वरीयता के क्रम में आपूर्ति कार्यों के प्रभार में रहेंगे । चूंकि पणन पदाधिकारियों की संख्या अंचलों की संख्या से कम है, इसलिये आवश्यकतानुसार कहीं - कहीं दो सीमावर्ती अंचलों को एक साथ सम्बद्ध करना अनिवार्य होगा । ऐसे प्रसंगों के प्रभारी पणन पदाधिकारी तीन - तीन दिन प्रत्येक अंचलों में अपना समय आपूर्ति कार्यों के निष्पादन में देंगे । कौन कौन दिन किस प्रखंड मुख्यालय में रहेंगे इसका समुचित नोटिस प्रखंड में प्रसारित कराया जायगा ताकि आम उपभोक्ता इस तथ्य से पूर्ण रूप से अवगत रह सके ।

§6§ वरीय पणन पदाधिकारियों के ~~जिले~~/अंचलों की सूची परिशिष्ट-1 पदस्थापित तथा पणन पदाधिकारियों के ~~जिले~~/अंचलों की सूची परिशिष्ट -2 में दी गई है पदस्थापित समाहर्त्ता सुविधानुसार इनके पदस्थापित स्थान के साथ सीमावर्ती अंचलों को सम्बद्ध करने का कार्य करेंगे, जिसके अनुसार पणन पदाधिकारियों को अपने दायित्व के निर्वहन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो । पणन पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण का अधिकार सरकार को ही प्रदत्त रहेगा ।

§7§ कार्यालय के लिये आवश्यकतानुसार उपस्कर एवं नामपट्ट की व्यवस्था समाहर्त्ता करेंगे ताकि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का सुचारु रूप से संचालन हो सके और जन साधारण को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े । दिनांक 15.6.96 से पूर्व ही "प्रखंड खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय" आशय का बड़ा नामपट्ट प्रखंड कार्यालय के प्रमुख स्थान पर टंगवा दिया जायेगा ।

समाहर्त्ताओं को इन निदेशों को निश्चित रूप से दिनांक 15.6.96 से कार्यरूप देना है ताकि अंचलाधिकारी खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी कार्यों से मुक्त होकर अपने राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में पूरे मनोयोग से अपना समय दे सके ।

उनसे अनुरोध है कि वे इस दिशा में अविलंब कार्रवाई कर की गई कार्रवाई से इस विभाग को भी दिनांक 20.6.96 तक अवश्य सिगनल द्वारा अवगत करायेंगे ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 11.6.96

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक 6122 आ-वा- पटना-15, दिनांक 10 जून, 86 ।

प्रतिलिपि, सभी उप-निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति / सभी अपर जिला दंडाधिकारी [आपूर्ति] / सभी अनुमंडलाधिकारी / सभी विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचि

ज्ञापांक 6122 आ-वा- पटना-15, दिनांक 10 जून, 86 ।

प्रतिलिपि, अध्यक्ष -सह -प्रबन्ध निदेशक, राज्य खाद्य निगम, पटना वरीय क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना / राजस्व विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण पुनर्निर्माण विभा को सूचनार्थ अग्रसारित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 6122 आ-वा- पटना-15, दिनांक 10 जून, 8

प्रतिलिपि, सभी संबंधित वरीय विपणन पदाधिकारी / विपणन पदाधि को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2- उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 15-6-86 तक निश्चि रूप से संबंधित समाहर्त्ता या अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष योगदान देकर संबंधि अंचल का प्रभार ग्रहण कर लें ।

शम्भू प्रसाद
7-6-86

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक-पु3/उ2-025/85-आ•वा• 8501 पटना-15, दिनांक 24 अगस्त, 1985 ।

प्रेषक,

संजय श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय- खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से संबंधित प्रशासकीय शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में उपार्जित अवकाश की स्वीकृति की शक्ति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 13934 दिनांक 15-5-67 एवं पत्रांक 6374 दिनांक 15•7•83 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि उक्त पत्र के अनुसार आपूर्ति क्षेत्रीय पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी 60 दिनों (दो माह) तथा प्रमंडलायुक्त 180 दिनों (छः माह) तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के सक्षम हैं । परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त अवधि से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति करने हेतु प्रस्ताव भी इस विभाग को प्रेषित होते हैं ।

अनुरोध है कि इस प्रकार का प्रस्ताव विभाग में न भेजकर सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों के अवकाश को उक्त पत्र के आलोक में स्वीकृत करने की कृपा की...

विश्वासभाजन,
[signature] 24/8/85
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 8501 आ•वा• पटना-15, दिनांक 24 अगस्त, 1985 ।

प्रतिलिपि, अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ सभी उप निदेशक, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति / सभी विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन / सभी अनुमंडल पदाधिकारी / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

[signature] 24/8/85
सरकार के संयुक्त सचिव ।

शंभू प्रसाद
19•8•85